मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1993 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 (पौष 8, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार "दी मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड" का 18 वां एवं 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 (क्रमांक-26 सन् 1976) की धारा 46 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक-17 (ई) 75-92-इक्कीस-ब (दो) दिनांक 8 दिसम्बर, 1993 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की सैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री ऊर्जा, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल का 9 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्यमंत्री परिवहन, मध्यप्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा 2 (1) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-3-92-आठ, दिनांक 30 सितम्बर, 1992 पटल पर रखेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डा. गोविन्द सिंह, श्री गोपाल भार्गव, डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम नरोल में डकैतों द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मंदसौर की जिवाजी शुगर मिल चालू न होने के कारण कृषकों का गन्ना न बिक पाने की ओर राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. वर्ष 1993-94 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1993-94 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज विधेयक, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1993) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा

दिनांक 24 दिसम्बर, 1993 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

8. संविहित संकल्प

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

"यह कि यह सदन भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और संसद के सदनों द्वारा यथापारित संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित है."

(2) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

"यतः राज्य सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना क्रमांक 15-16-75-दस-2 दिनांक 21 मई, सन् 1981 द्वारा घाटीगांव हुकना (ग्रेट इंडियन बास्टर्ड) अभयारण्य को हुकना (ग्रेट इंडियन बास्टर्ड) और अन्य पशुओं तथा पक्षियों के लिये उक्त अधिनियम के अधीन अभयारण्य (ग्रेम सेंक्चुअरी) के रूप में घोषित किया था ;

"और यतः इस विधान मंडल के विचार से लोकहित में यह वांछनीय है कि ग्वालियर जिले की वन भूमि को गुना-इटावा ब्रॉड गेज रेल लाइन के निर्माण के प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित किया जाए;

अतएव, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का सं.53) की धारा 26 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में यह विधान मंडल, एतद्द्वारा, यह संकल्प करती है कि गुना-इटावा रेल लाइन के मोहना पनिहार उपखण्ड के निर्माण के लिये घाटीगांव हुकना (ग्रेट इंडियन बास्टर्ड) अभयारण्य में से अपवर्जित किया जाए."

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्य मंत्री, ऊर्जा, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

"यह सदन मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 65 के अंतर्गत ऋण लेने की अधिकतम धनराशि रूपये 5000 करोड़ (रू. पांच हजार करोड़) केवल शासन द्वारा नियत किये जाने के लिये अनुमोदन प्रदान करता है."

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 28 दिसम्बर, 1993